राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः एफ.2(1)साप्र/2/2015पार्ट जयपुर, दिनांक 6/6/2017

आदेश

डॉ0 मनीष शुक्ला, मुख्य लेखाधिकारी, पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय, राजस्थान जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयता संख्या 37/2013 व सेवानिवृत्ति दिनांक 28.02.2038 है, के आधार पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.4.2017 द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या II/26, गांधीनगर के स्थान पर एन–27, भूतल, गांधीनगर का आवंटन राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानान्तर्गत वरीयता के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तो के अध्ययधीन एतद्द्वारा किया जाता है :–

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थित्ति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

06/06/2017
(गौरव बजाड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व)/कला एवं संस्कृति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0, खण्ड तृतीय, मुख्यालय जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 वि0, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर वि0वि0निगम लि0, वृत्त गांधीनगर, जयपुर।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
13. डॉ0 मनीष शुक्ला, मुख्य लेखाधिकारी, पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय, राजस्थान जयपुर
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
15. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव